मासूम देवांशु के पिता को हथियार बेचने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

जान को खतरा लगा तो पांच माह पहले देवांशु के पिता मुकेश पटेल ने अवैध पिस्टल खरीदी थी

पावटा, (निसं)। विराटनगर के ग्राम छीतोली के बरड़ा की ढाणी में रविवार को हुई घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। विराटनगर थाना प्रभारी सोहन लाल ने बताया कि पुलिस थाने के हैड कॉन्स्टेबल विनोद की ओर से आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज करवाया गया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी मुकेश पटेल ने यह पिस्टल करीब पांच माह पूर्व खरीदी थी।

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह और उसकी पत्नी कान्हा उर्फ धर्मा गुर्जरी विभिन्न धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में गायक के रूप में प्रस्तुति देते थे। इस दौरान कई बार विवाद की स्थितियां बनीं और उन्हें अपनी जान को खतरा महसूस होने लगा। इसी भय के चलते आरोपी ने बिना लाइसेंस अवैध पिस्टल खरीद ली थी, लेकिन यही पिस्टल उनके घर के नन्हे दीपक की मौत का कारण बन गई।

पुलिस ने अवैध हथियार मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया।

मासूम की जिंदगी छिनने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं अवैध हथियार रखने और उसके चलते हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को सकते में डाल दिया है। पुलिस ने मृतक बच्चे के पिता मुकेश पटेल को अवैध हथियार मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी ने यह पिस्टल कहां से और किन लोगों की मदद से खरीदी थी।

- **हिस्ट्रीशीटर आरोपी विनोद जाट के खिलाफ पूर्व में 21 प्रकरण दर्ज हैं, थाना प्रागपुरा का हिस्ट्रीशीटर है आरोपी**

अनुसंधान करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कोटपूतली बहरोड देवेंद्र कुमार विश्नोई के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपूतली वैभव शर्मा व वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर शिप्रा राजावत के सुपरविजन एवं विराटनगर थाना प्रभारी सोहनलाल के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मामले में अनुसंधान के दौरान मृतक बच्चे के पिता मुकेश पटेल ने अवैध हथियार विकास जाट निवासी टोरडा ब्राहमणान से खरीदना बताया।

वहीं पुलिस टीम द्वारा विकास जाट की तलाश की गई तो पता चला कि प्रागपुरा थाना पुलिस द्वारा अवैध गांजा मामले में एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा गया था, जोकि न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागृह कोटपुतली में होना पाया गया, जिस पर विराटनगर न्यायालय से प्रोडेक्शन वारंट जारी कराकर जिला कारागृह कोटपुतली से गिरफ्तार किया गया। वहीं मामले की जांच जारी है।

विद्युत कनेक्शन देने में 1095 दिन की देरी विद्युत विभाग को भारी पड़ी

राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर पीठ में जिला आयोग बाड़मेर के आदेश को यथावत रखा

जोधपुर, (कासं)। विद्युत विभाग द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन देरी से करना भारी पड़ गया। राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर पीठ में जिला आयोग बाड़मेर के आदेश को यथावत रखते हुए तीन अलग-अलग उपभोक्ताओं को हर्जाने के रूप में प्रत्येक उपभोक्ता को देरी पर 2 लाख 19 हजार रुपए देने के आदेश को उचित ठहराया है।

आयोग के समक्ष जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर के सहायक अभियंता द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग बाड़मेर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कनेक्शन देरी से जारी करने पर जिला आयोग ने 1095 दिन की देरी को सेवा में त्रुटि मानते हुए उपभोक्ताओं को 219000 रुपये का हर्जाना लगाया था व मानसिक हर्जाने के 5 हजार तथा परिवाद व्यय स्वरूप 10 हजार देने के आदेश पारित किए थे। आयोग के सदस्य निर्मल सिंह मेड़तवाल, सदस्य लियाकत अली के समक्ष सहायक अभियंता बाड़मेर की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग बाड़मेर के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करते हुए जिला आयोग के निर्णय को ख़ारिज करने की अपील की थी। अपील में बताया गया था कि बायतु निवासी गिरधारी राम, राजेश, कुशलाराम तीन विद्युत उपभोक्ताओं ने विद्युत कनेक्शन के लिए वर्ष जनवरी 2018 में आवेदन किया था, परंतु विद्युत विभाग ने कनेक्शन 1095 दिन की देरी से जारी किया, जिस पर तीनों उपभोक्ताओं ने जिला आयोग के समक्ष विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43 (1) का हवाला देते हुए प्रतिदिन की देरी पर 1000 प्रति दिन के अनुसार 1095 दिन के रुपए 848000 रुपये हर्जाना दिलाने की मांग की थी

- **प्रत्येक उपभोक्ताओं को दो लाख उन्नीस हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश यथावत रखे**

आयोग के समक्ष विद्युत विभाग की ओर से बताया गया कि उपभोक्ताओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल कर नियमानुसार मांग पत्र जारी किया गया था। विद्युत कनेक्शन स्थापित करने के लिए मूल पत्रावली सहायक अभियंता को प्रेषित कर दी गई थी। उपभोक्ताओं को 30 दिन में कनेक्शन का आश्वासन नहीं दिया गया था, बल्कि संसाधनों की उपलब्धता और वरीयता के अनुसार कनेक्शन जोड़ने की जानकारी दी गई थी।

आयोग द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए पाया कि विद्युत अधिनियम की धारा 2003(1)(3) में एक माह में कनेक्शन नहीं करने पर प्रतिदिन के व्यतिक्रम के लिए 1000 शास्ती तक हो सकती हैं। आयोग ने विद्युत विभाग की अपील अस्वीकार करते हुए जिला आयोग के निर्णय को उचित ठहराया। डिस्कॉम की ओर से अधिवक्ता राजकुमार गहलोत व उपभोक्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजेश भार्गव उपस्थित हुए।

फैक्टरी में काम करते हुए मशीन में साड़ी फंसी, महिला श्रमिक की मौत

इस फैक्टरी में ही काम करते हुए महिला के पति का भी हाथ कटा था

उदयपुर, (निसं)। गुरुवार को डबोक थाना इलाके में स्थित कुमार मिनरल्स नाम की फैक्टरी में महिला मजदूर की मौत हो गई। महिला की साड़ी मशीन के रोलर में आने से खींचती चली गई और मौके पर ही मौत हो गई। इस फैक्टरी में ही काम करते हुए महिला के पति का भी हाथ कटा था।

थानाधिकारी हुकम सिंह ने बताया कि गुडली स्थित रीको इंडस्ट्रियल एरिया में मिनरल्स फैक्टरी है। इसमें सॉप स्टोन का पाउडर बनाने का काम होता है। बुधवार तड़के तीन बजे काम के दौरान महिला कमला मीणा निवासी प्रतापगढ़ की मौत हुई है। परिजन और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की। दोनों पक्षों के बीच 11 लाख रुपए के मुआवजे पर सहमति बनी। वहीं फैक्टरी रातभर चलने की अनुमति है या नहीं इसकी जांच की जाएगी।

थानाधिकारी के अनुसार महिला कमला मीणा निवासी प्रतापगढ़ फैक्टरी में काम कर रही थी। इस दौरान उसकी साडी मशीन के रोलर में आ गई। महिला साडी के साथ रोलर में खिंचती चली गई और उसके पेट का हिस्सा कट गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

कर्मचारी यूनियन के नेता पुष्कर जोशी ने बताया कि महिला कमला और उसका पति मानसिंह मीणा दोनों इसी फैक्टरी में काम करते हैं। दो साल पहले महिला के पति का भी काम करते वक्त हाथ कट गया था। उसे मुआवजे तौर पर करीब 25 हजार रुपए फैक्टरी की तरफ से दिए गए थे। जब वो काम पर वापस लौटा तो उसके वेतन में से मुआवजे की राशि हर महीने किश्त में काट ली गई थी। यूनियन नेता ने कहा कि मृतक के दो छोटे बच्चे हैं, ऐसे में परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों कहना है कि मृतक महिला का पति एक हाथ से अक्षम है। छोटा बेटा एक साल का है। आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हैं। पत्नी की मौत के बाद पति के जिम्मे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। ऐसे में 50 लाख रुपए के मुआवजे मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में फैक्टरी मालिक और ग्रामीणों और परिवार के बीच वार्ता हुई। परिवार को 11 लाख रुपए देना तय हुआ। इसके बाद धरना खत्म हुआ।

सगतसिंहजी का शौर्य, पराक्रम, सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता अद्धितीय थी : राजेन्द्र राठौड़

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने गुरुवार को 59वें नाथुला विजय दिवस के अवसर पर सिक्किम के नाथुला दर्रे पर

- **राज. विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने लेफ्टिनेंट जनरल सगतसिंहजी के मूर्ति अनावरण समारोह में शिरकत की**

सिक्किम के नाथुला दर्रे पर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किया गया।

आयोजित चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव कुसुमदेसर में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के भव्य और ऐतिहासिक मूर्ति अनावरण समारोह को सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के पुत्र कर्नल (सेवानिवृत्त) रणविजय सिंह सहित उनके परिजनों व सैनिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

राठौड़ ने कहा कि सगतसिंह जी का यह मूर्ति अनावरण कार्यक्रम हिंदुस्तान की सैन्य विरासत को अमरतत्व देने का एक ऐतिहासिक कार्य है। यह आने वाले समय में हमारे वीर सैनिकों के साथ साथ राष्ट्रवाद की सोच रखने वाले हर नागरिक के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगा। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। मैं नाथूला की इस वीर भूमि पर खड़ा हूं, जहां हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच भारत के सबसे निर्भिक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है।

राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अमेरिका के जनरल जॉर्ज पैटर्न और सगतसिंह जी को पढ़ता हूं तो मैं यह कह सकता हूं कि सगतसिंह जी का शौर्य, पराक्रम, सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता अद्धितीय थी। उनका विपरीत परिस्थिति में यह कहना कि मातृभूमि की मैं एक इंच भूमि भी बिना लड़े नहीं दूंगा। उनके मातृभूमि के प्रेम को दर्शाता है। उन्होंने अपने सैन्य कार्यकाल में पाकिस्तान को हराया, चीन को झुकाया और बंगलादेश को जन्म देने का कार्य किया। ब्रिगेडियर के रूप में सगतसिंहजी ने वर्ष 1961 में ऑपरेशन विजय के दौरान 450 वर्षों तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहे गोवा को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें गोवा का मुक्तिदाता कहा जाता है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सगतसिंहजी के पराक्रम को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैं स्वयं उन्हीं की धरती राजस्थान से आया हूं। राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है। यह भक्ति भी है और शक्ति भी है। मुझे आज कन्हैया लाल सेठिया जी की प्रसिद्ध कविता याद आ रही है... आ धरती गोरा धोरां री, आ धरती मीठा मोरां री, ई धरती रो रुत्बो ऊँचो, आ बात कवै कुंचो कुंचो, आं फोगां में निपज्या हीरा, आं फोगां में नाची मीरा। सगत सिंह ने अपने सैन्य अनुभव और नेतृत्व से नाथूला को बचाया था जिसके फलस्वरूप नाथूला आज भी भारत के कब्जे में है। सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर ने कहा कि नाथुला विजय दिवस भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। यह मेरा सौभाग्य और गर्व है कि आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित हूं, विशेषकर तब जब 1967 के युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह उसी राजस्थान राज्य से हैं, जहां से मैं स्वयं आता हूं। उनका साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। समारोह में सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग कहा यह कार्यक्रम लेफ्टिनेंट जनरल सगतसिंहजी की वीर गाथाओं को पुनः जीवित करने की, और उनकी वीरगाथा को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। साथ ही समारोह में 17 माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल एम. एस. राठौर (एसएम, वीएसएम) ने स्वागत भाषण दिया।

नकल कर महिला सुपरवाइजर बनी महिला रिमांड पर

बीकानेर, (निसं)। सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कराने वाले गिरोह से पूछताछ के बाद बीकानेर की एक महिला मंजू कुमारी विश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे अब जयपुर के एसओजी मुख्यालय में पूछताछ होगी। मंजू को अदालत में पेश करके रिमांड लिया गया है।

भर्ती परीक्षा में नकल कर परीक्षा पास करने के संबंध में प्रकरण में एसओजी जयपुर थाने में जांच चल रही थी। जांच में फर्जीवाड़े से नौकरी पाने वालों की लिस्ट बनी तो इसमें मंजू का नाम भी था। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद नगर में रहने वाली मंजू को बुधवार को एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। एसओजी ने इस कार्रवाई में बीकानेर एसपी कावेंद्र सिंह सागर, थानाधिकारी मुक्ताप्रसाद नगर विजेन्द्र कुमार सिला, एएसआई हनुमान सिंह और महिला कॉन्स्टेबल संजू की भूमिका की सराहना की है। मंजू कुमारी पत्नी प्रेमरतन विश्नोई वर्तमान में पर्यवेक्षक (महिला

- **मंजू कुमारी विश्नोई से जयपुर के एसओजी मुख्यालय में पूछताछ होगी**

अधिकारिता) बज्जू, बीकानेर पर भर्ती परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करने का आरोप है। नकल गैंग के माध्यम से ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से प्रश्न पत्र हल किया गया। आरोपिता मंजू कुमारी ने इस भर्ती परीक्षा में अन्य मुल्जिमों के समान ही प्रश्न हल किये, जिससे उक्त आरोपिता का उक्त परीक्षा में चयन हुआ। इस प्रकार सार्वजनिक भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, जिससे सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती 2018 के लिखित परीक्षा के पेपर नकल में संलिप्तता पाई गई है। अब मंजू से उक्त भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कराने वाले गिरोह के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है।

सीसी रोड निर्माण में अनियमितता का आरोप

पावटा, (निसं)। नगरपालिका पावटा प्रागपुरा क्षेत्र में पावटा से कुनेड तक सीसी रोड का निर्माण कार्य किया गया है। इसमें ठेकेदार द्वारा जमकर अनियमितता बरती गई है। सीसी रोड बनने के कुछ महीनों बाद रोड में जगह-जगह से दरार पड़ने लगी है व जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। गुणवत्ताविहिन निर्माण के चलते राहगीरों व ग्रामीणों में आक्रोश है। सीसी रोड निर्माण मानक को दरकिनार कर किया गया है, जिससे अब सड़क में दरारें पड़ने लगी है।

तहसील पावटा में ग्रामीण सड़क मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2023-24 अंतर्गत बनने वाली सड़क का निर्माण कार्य जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते लापरवाही का शिकार हो गया है। वर्ष 2023-24 में पावटा से कुनेड मार्ग तक 80 लाख की लागत से 2 किमी लंबी सड़क निर्माण के लिए 16 जुलाई 2023 मे निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन करीब दो साल बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हो सका है। वही जो सड़क बनाई गई है उसमें गड्ढे भी पड़ने शुरू हो गए हैं। ठेकेदार की मनमानी और लापरवाही के कारण स्थानीय जनता में आक्रोश पनप रहा है। सड़क टूटने व दरारें आने की सूचना विभाग के अधिकारियों को दीं, लेकिन मामले से अनजान बने हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क तो भ्रष्टाचार का महज एक बानगी है। सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। ग्रामीणों ने बताया कि योजना स्थल पर लगे बोर्ड के अनुसार काम हुआ ही नहीं। ग्रामीणों ने संवेदक एवं अभियंता पर गुणवत्ताहीन सड़क बनाने का आरोप लगाया है। अब सड़क का निर्माण कार्य अधूरा रहने से राहगीर लगातार चोटिल हो रहे हैं। आम जनमानस इस बात से बेहद नाराज है कि इस लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

अति. प्रशासनिक अधिकारी व चपरासी रिश्वत लेने के आरोप में डिटेन

भीलवाड़ा, (निसं)। भीलवाड़ा एसीबी की टीम ने श्रम विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व चपरासी को

- **दोनों पर 33 हजार की रिश्वत राशि लेने का आरोप है**

33 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में डिटेन किया है।

एसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक्सीडेंट क्लेम की राशि की करवाई गई 2-2 लाख की दो अलग-अलग एफडी तुड़वाने की श्रम विभाग से स्वीकृति लेनी थी। इसके लिए सरदार नगर निवासी मोइनुद्दीन ने श्रम विभाग से संपर्क किया। इस काम के बदले रिश्वत राशि की डिमांड की गई। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन करवाया। इसके बाद गुरुवार को एसीबी टीम ने श्रव विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र कुमार लखारा व चपरासी अशोक आचार्य को डिटेन किया है। इन पर 33 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेने का आरोप है। फिलहाल कार्रवाई जारी है।

श्रम विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व चपरासी को रिश्वत लेने के आरोप में डिटेन किया।

बैंकों के ताले तोड़ नकबजनी के प्रयास का खुलासा, तीन गिरफ्तार

बांसवाड़ा, (निसं)। सदर थाना पुलिस ने राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बड़गांव एवं एयू फाईनेंस बैंक प्रताप सर्कल शाखा में ताले तोड़कर नकबजनी का प्रयास करने के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सदर थानाधिकारी बुद्धाराम विश्नोई ने बताया कि गत 15 मई को राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बड़गांव के मैनेजर प्रार्थी विक्की भाउसाहेब तुरकने ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 मई की सुबह लगभग छह बजे मकान मालिक के बेटे दिलीप यादव ने सूचना दी कि बैंक के ताले टूटे हुए हैं और शटर

- **राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बड़गांव एवं एयू फाईनेंस बैंक प्रताप सर्कल शाखा में ताले तोड़कर नकबजनी का प्रयास करने का मामला**

ऊंचा किया हुआ है। जिस पर प्रार्थी ने बैंक में जाकर देखा तो ताले टूटे हुए थे और शटर भी खुला था, जिस पर उसने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद बैंक के अंदर जाकर देखा तो स्ट्रॉग रूम का ताला टूटा हुआ था वहीं केश सेफ को लोहे के सरिये से तोड़ने का प्रयास किया गया मगर वह टूटा नहीं। पुलिस ने

सदर थाना पुलिस ने बैंकों के ताले तोड़ नकबजनी के प्रयास करने के आरोपियों को पकड़ा।

मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। इधर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, एएसपी डॉ. राजेश भारद्वाज व पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा के निर्देशन में थानाधिकारी बुद्धाराम विश्नोई के नेतृत्व में टीम गठित की गयी। इस टीम ने मुखबीरी तंत्र को सक्रिय किया। वहीं तकनीकि संसाधनों से हाइवे पर लूट-डकैती, मोबाइल खींचने की घटनाएं करने वाले संदिग्धों पर निगरानी रखी। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजकर पहचान कराई गयी तो मुखबीरों व तकनीकि संसाधनों से पता चला कि अनिल उर्फ अनिया पुत्र लालु चरपोटा निवासी नादिया के रूप में पहचान हुई, जिस पर उसे डिटेन कर पूछताछ की गई तो उसने अपने साथी दिनेश पुत्र हिरालाल निवासी सारेल व मंगलेश्वर उर्फ मंगला पुत्र रकमा निवासी पानीवाला गढ़ा के साथ मिलकर वारदात करना स्वीकार किया। पूछताछ में तीनों ने प्रताप सर्किल स्थित एयू फाईनेंस बैंक में भी खिड़की तोड़कर लॉकर तोड़ने के प्रयास का अपराध भी स्वीकार किया। पुलिस टीम में थानाधिकारी बुद्धाराम विश्नोई, उपनिरीक्षक रामलाल, सहायक उपनिरीक्षक महेन्द्र कुमार, हैड कांस्टेबल गजेन्द्र सिंह, केशव, खुशपाल सिंह, नानुलाल, कांस्टेबल मुकेश, पूंजीलाल, विजय, यशवर्धन सिंह, गौरव सुथार, सायबर सेल प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक प्रवीण सिंह, कांस्टेबल मोहित जोशी व साइबर सेल कांस्टेबल धीरज शामिल रहे।

कार्यशाला का हुआ आयोजन : सरवाड़ महिला अधिकारिता विभाग अजमेर की उपनिदेशक मेघा रतन के निर्देशानुसार उपखण्ड कार्यालय में महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं कार्यशाला में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 पर विभिन्न जानकारी प्रदान की गई। वहीं उपखण्ड अधिकारी द्वारा सभी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर शी बॉक्स पर पंजीकृत कराने हेतु निर्देश दिए। बालिकाओं, युवतियों, महिलाओं तक अधिकारों सावधानियों जागरूकता का प्रचार प्रसार करने हेतु प्रोत्साहित किया।

शातिर चोर गिरफ्तार

ब्यावर, (निसं)। पुलिस ने शहर में ज्वैलरी की दुकान में हुई चारी की वारदात को खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के जेवरात बरामद किये हैं।

आठ सितंबर को पुलिस थाना सिटी पर एक रिपोर्ट हुई कि जिसमें पीड़ित ने बताया कि मेरी ब्यावर शहर में सोने चांदी के ज्वैलरी की दुकान है। मेरी दुकान पर आरव बंगाली काम करता था। दो सितंबर को मैं किसी काम से बाजार गया तो दुकान पर आरव बंगाली ही था। मैं थोडी देर बाद बाजार से वापस दुकान आया तो आरव बंगाली दुकान पर नहीं था। मैने फोन लगाया तो उसका फोन बन्द आ रहा था। मैने मेरी दुकान चैक की तो दराज का ताला टूटा हुआ था उसमें रखी सोने की चेन वजनी 60 ग्राम नहीं मिली। जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान व आरोपी की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम ने मुखबीर से सूचना के आधार पर ाारोपी हारू जाना पुत्र स्व. निर्मलेन्दु जाना निवासी भगवनपुर पुलिस थाना श्यामपुर जिला हावडा कोलकाता (पश्चिम बंगाल) से गहनता से पूछताछ करने पर चोरी करना स्वीकार किया।

सिंगवाव क्षेत्र से हुई स्कूटी चोरी के मामले में दो गिरफ्तार

एक विधि से संघर्षरत किशोर को डिटेन कर चोरी हुई स्कूटी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की

बांसवाड़ा, (निसं)। कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के सिंघवाव कॉलोनी से स्कूटी चोरी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक विधि से संघर्षरत किशोर को डिटेन कर चोरी की गई स्कूटी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं पुलिस मामले को लेकर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

कोतवाली थानाधिकारी रूपसिंह ने बताया कि जिले में बढ़ती चोरियों की घटनाओं एवं संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोषी के निर्देशन में एएसपी डॉ. राजेश भारद्वाज के सुपरविजन व पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा के पर्यवेक्षण में कोतवाली थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी। थानाधिकारी ने बताया कि गत 23 जुलाई को प्रार्थी भुवन पुत्र अवधबिहारी भट्ट ने रिपोर्ट दी कि वह पुणे में नौकरी करता है और उसके माता-पिता कनाड़ा गये हुए हैं। गत चार माह से मकान में कोई नहीं रहता है और मकान के प्रांगण में स्कूटी पड़ी हुई थी, जिसे 21 व 22 जुलाई की मध्य रात्रि में कोई अज्ञात बदमाश चुरा ले गया। पुलिस ने टीम गठित करते हुए गिरफ्तारशुदा अभियुक्त राहुल पुत्र राजेश निवासी निचला घंटाला एवं रमेश उर्फ रमिया पुत्र भाणजी निनामा निवासी खेरडाबरा एवं डिटेनषुदा विधि से संघर्षरत किशोर से गहनता से पूछताछ की तो इन्होंने अपने साथी सूरज पुत्र बबु मईड़ा निवासी पिपलवा के साथ मिलकर घटना कारित करना स्वीकार किया।

अभियुक्त राहुल एवं विधि से संघर्षरत किशोर को जरिये प्रोडक्शन वारंट से प्राप्त कर अनुसंधान किया गया। विधि से संघर्षरत किशोर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गयी। वहीं रमेश उर्फ रमिया के कब्जे से स्कूटी बरामद की गयी। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश व अनुसंधान जारी है। पुलिस टीम में थानाधिकारी रूपसिंह, उनि गोविन्दसिंह, कांस्टेबल तिलकराज सिंह, खुशपाल सिंह, वासुदेव एवं योगेन्द्र सिंह शामिल रहे।